तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहका… हुक्म की… जारी हुए…
18/12/2025	पत्रा. पेश हुई। वाद संख्या 341 वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA के तहत स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादिनी को निस्फ हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)	

291

12

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 इन्द्रवती बनाम ग्यासी बगै0

दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 69/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .....
मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नं0 2046 रकवा 0.27, 2047 रकवा 0.29, 3311 रकवा 0.30, 3312 रकवा 0.29, 2331 रकवा 0.34, 2333 रकवा 0.33, 2462 रकवा 0.29, 3148 रकवा 0.22, 3261 रकवा 0.57, 3262 रकवा 0.44, 3263 रकवा 0.29, 3264 रकवा 0.46 किता 12 कुल रकवा 4.09 हैक्टे. स्थित ग्राम भदीरा तहसील नदबई वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सेनुसार कोटीनेन्सी की आराजी है, पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादिनी को निस्फ हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बैज – मुबलिग ——— बावत ——— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18/12/2025 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत— उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. इन्द्रवती पत्नि लाखन सिंह पुत्री ग्यासी जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई

बनाम

1. ग्यासी पुत्र चरनी उर्फ चुन्नी जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बन्नो उर्फ बनयसिंह पुत्र सुघड सिंह जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
4. सब रजिस्ट्रार, नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

5. हरीसिंह पुत्र सिबल जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. गोविन्दा पुत्र सिबल जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. रामवीर पि0 तुलाराम जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. सतवीर पि0 तुलाराम जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. धनवीर पि0 गोरधन जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. यादराम पि0 गोरधन जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. प्रभू पि0 गोरधन जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. लेखराज पुत्र सुघड सिंह जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. लालो पुत्र चरनी जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. फूला वेवा सुघड सिंह जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. कल्याण पि. सुघड सिंह जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. जयपाल पि. सुघड सिंह जाति जाट निवासी मदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. राजस्थान ग्रामीण बैंक नदबई जरिये शाखा प्रबंधक।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 69/2014

जीसीएमएस न. 2014/00148

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 18/12/2025

1. इन्द्रवती पत्नि लाखन सिंह पुत्री ग्यासी जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. ग्यासी पुत्र चरनी उर्फ चुन्नी जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बन्नो उर्फ बनयसिंह पुत्र सुघड सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
4. सब रजिस्ट्रार, नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

5. हरीसिंह पुत्र सिबल जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. गोविन्दा पुत्र सिबल जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. रामवीर पि0 तुलाराम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. सतवीर पि0 तुलाराम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. धनवीर पि0 गोरधन जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. यादराम पि0 गोरधन जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. प्रभू पि0 गोरधन जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. लेखराज पुत्र सुघड सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. लालो पुत्र चरनी जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. फूला वेवा सुघड सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. कल्याण पि. सुघड सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. जयपाल पि. सुघड सिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. राजस्थान ग्रामीण बैंक नदबई जरिये शाखा प्रबंधक।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपस्थित श्री बृजेश कुमार शर्मा एड0(वादीगण)

उपस्थित श्री जगदीश सिंह फौजदार एड0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

:: निर्णय ::दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित आराजी खाता संख्या 131, 132, 133 व 645 में दर्ज है। खसरा नं0 2046 रकवा 0.27, 2047 रकवा 0.29, 3311 रकवा 0.30, 3312 रकवा 0.29, 2331 रकवा 0.34, 2333 रकवा 0.33, 2462 रकवा 0.29, 3148 रकवा 0.22, 3261 रकवा 0.57, 3262 रकवा 0.44, 3263 रकवा 0.29, 3264 रकवा 0.46 किता 12 कुल रकवा 4.09 हैक्टे. स्थित ग्राम भदीरा तहसील नदबई वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सेनुसार कोटीनेन्सी की आराजी है। जिस पर वह अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
2. यह है कि समस्त आराजी मुतदाबिया पैत्रिक है। जिसमें वादनी का प्रतिवादी असल संख्या 01 के साथ निस्फ हिस्से की आराजी पर विरासतन, और जन्मजात हित, निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 के कोई पुत्र नहीं है। केवल मात्र 2 पुत्रियां सगी सुनीता की बिना किसी औलाद मृत्यु हो चुकी है। और अब मात्र प्रार्थीया ही जीवित है और अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज आराजी पर काबिज होकर काश्त करती हुई चली आ रही है।
3. यह है कि वादिनी के परिवार का सजरा निम्नलिखित है जो वादपत्र के तथ्यों को समझने व निर्णय प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगे।

ग्यासी (प्रतिवादी संख्या 01)

इन्द्रवती वादिनी

उक्त परिवार के सजरा बखूबी साबित है। कि प्रतिवादी असल के कोई पुत्र नही है। केवल मात्र 2 पुत्रियां है जिनमे से बडी पुत्री की मृत्यु बिना किसी औलाद पूर्व में ही हो चुकी है और वादिनी ही प्रतिवादी सेख्या 1 असल की जायज वारिस और उसके साथ अपने अधिकार की विधिनानुकूल घोषणा कराने की मुश्तहक है।

4. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 की बुद्धि सठिया गई है। और वह येने केन प्रकरेण वादिनी के आराजी मुतदाबिया में निहित, हित की अनदेखी कर आराजी मुतदाबिया को रहन वय मुन्तकिल करने की फिराक में है। जिसकी धमकी प्रतिवादी संख्या 01 ने वादिनी को

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

दिनांक 5.6.2014 को मौके पर दी है। और ऐलानियां कहा है कि वह वादिनी को उसके हक से महरूम करके रहेगा जिसका कि उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि वादपत्र वादिनी विरूद्ध प्रतिवादी असल निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि घोषणा खातेदारी वाहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार जारी फरमाई जावे कि वादिनी आराजी मुतदाबिया में प्रतिवादी असल संख्या 01 के साथ निस्फ हिस्से की खातेदार टीनेन्ट है और जो इन्द्राज खातेदारी अकेलक प्रतिवादी संख्या 01 के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उन्हें कलमजन किया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादी असल संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जावे कि वह आराजी को दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल नहीं करे।

(स) दीगर दादरसी।

(द) यह है कि वयनामा तारीख 25.10.2018 व मुकाबले वादिनी एवनीसियो बोइड है। प्रभावहीन है। इसे वादिनी के जायज हकूकों तक यानि निस्फ हिस्से तक वातिल व बेअसर घोषित किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री जगदीश फौजदार एडवो0 द्वारा उपस्थित होकर जबावदावा पेश किया गया एवं शेष प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जबाव दावा संक्षिप्त में निम्नानुसार है।

1. यह है कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2046 रकवा 0.27, व 2047 रकवा 0.29 को छोडकर शेष आराजी वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्थित होना स्वीकार है।
2. यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2846 रकवा 0.27, 2847 रकवा 0.29 किता 2 कुल रकवा 0.56 हैक्टे. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई वादिनी की पैत्रिक आराजी न होकर मुझ प्रतिवादीगण संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी है। जिसे मुझ प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा दिनांक 18.11.82 को कीमतन विकेता लीले पुत्र चन्दन जाति जाट निवासी भदीरा से क्रय किया है। पैत्रिक सम्पत्ति नहीं होने के कारण वादिनी को प्रतिवादी संख्या 01 के जीवन काल में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है।
3. यह है कि हाल आराजी खसरा नं0 3311 रकवा 0.30, 3312 रकवा 0.29 कुल किता 02 रकवा 0.59 हैक्टे. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई प्रार्थिया वादिनी की पैत्रिक आराजी न होकर प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित आराजी है। जिसे मुझ प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

संख्या 01 ने दिनांक 10.06.1985 को कीमतन विकेता बदले पुत्र सामलिया व बीरबल पुत्र सामलिया जाति जाट निवासी भदीरा से क्रय किया था। पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण वादिनी का मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। इस आधार पर दावा वादिनी चलने योग्य नहीं है।

4. यह है कि वादिनी भदीरा में निवास नहीं करती है वो अपनी ससुराल में निवास कर रही है। इस प्रकार से वादिनी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा व काश्त होना स्वीकार नहीं है।

5. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 की बुद्धि बिलकुल रही है तथा मैं अपना अच्छा व बुरा अच्छी तरह जानता हूं तथा अपने जीवनकाल में अपने खर्चे के लिए जैसे खाना पीना कपडे के लिए अपनी जरूरतों को अपनी आराजी को उपयोग उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा मेरे जीवनकाल मे वादिनी का कोई हकब हिस्सा नहीं बनता है।

6. यह है कि विवादित हाल आराजी जो वादपत्र के मद संख्या 2 में अंकित है, में सहखातेदार सुघड सिंह है। जिसकी मृत्यु हो गई है। जिसके वारिसान में उसकी वेवा जिसका नाम फूला व फूलवती है। जिसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने के अभाव में दावा वादिनी चलने योग्य नहीं होने के कारण दावा वादिनी काबिल खारिजी के है। अतः जबावदावा मिनजानिब प्रतिवादी संख्या 01 स्वीकार किया जाकर दावा वादिनी खारिज फरमाया जावे एवं हर्जा खर्चा प्रतिवादी संख्या 01 को वादिनी से दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जबावदावा के विवेचन के आधार पर तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है–

1. आया आराजी मुतनाजा पैत्रिक है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वह निस्फ हिस्से की अपने आपको खातेदार घोषित कराने की अधिकारिणी है।

   – जिम्मे वादीगण।

2. आया वादिनी अपने हिस्से की आराजीयात प्रतिवादी असल संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने की मुश्तहक है।

   – जिम्मे वादीगण

3. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित है। जिसमें वादिनी का हक निहित नहीं है।

   – जिम्मे प्रतिवादीगण।

4. दीगर दादरसी।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी हाल संवत 2069–2072 वाके ग्राम भदीरा, नकल फोटो मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम भदीरा, नकल फोटो वयनामा दिनांक 10.06.1985 विकेता बदले पुत्र सावलिया, नकल फोटो प्रति वयनामा दिनांक 10.06.1985 विकेता बीरवल पुत्र सामलिया, नकल फोटो प्रति वयनामा दिनांक 10.08.1982 विकेता लीले पुत्र चन्दन पेश किये गये। प्रतिवादी की ओर से नकल फोटो प्रति आदेश दिनांक 24.09.2018 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ऑर्डरशीट पेश की गई। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पी0ड्ब्ल्यू0 1 के रू॰ में इन्द्रवती पत्नि लाखन सिंह पुत्री ग्यासी जाति जाट निवासी भदीरा एवं शपथ पत्र पी0ड्ब्ल्यू0 2 लाखन सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली का पेश किया गया । प्रतिवादी की ओर से शपथ पत्र डी0ड्ब्ल्यू0 1 ग्यासी पुत्र चरनी जाति जाट निवासी भदीरा एवं शपथ पत्र डी0ड्ब्ल्यू0 2 विजय सिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाटव निवासी भदीरा तहसील नदबई का पेश किया गया ।

हमने वादी वकील की ओर से बहस सुनी गई। वादी वकील की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया है। वादी वकील का कहना है कि विवादित आराजी खाता संख्या 131, 132, 133 व 645 में दर्ज है। खसरा नं0 2046 रकवा 0.27, 2047 रकवा 0.29, 3311 रकवा 0.30, 3312 रकवा 0.29, 2331 रकवा 0.34, 2333 रकवा 0.33, 2462 रकवा 0.29, 3148 रकवा 0.22, 3261 रकवा 0.57, 3262 रकवा 0.44, 3263 रकवा 0.29, 3264 रकवा 0.46 किता 12 कुल रकवा 4.09 हैक्टे. स्थित ग्राम भदीरा तहसील नदबई वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सेनुसार कोटीनेन्सी की आराजी है। जिस पर वह अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। समस्त आराजी मुतदाबिया पैत्रिक है। जिसमें वादनी का प्रतिवादी असल संख्या 01 के साथ निस्फ हिस्से की आराजी पर विरासतन, और जन्मजात हित, निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 के कोई पुत्र नहीं है। केवल मात्र 2 पुत्रियां सगी सुनीता की बिना किसी औलाद मृत्यु हो चुकी है। और अब मात्र प्रार्थीया ही जीवित है और अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज आराजी पर काबिज होकर काश्त करती हुई चली आ रही है। प्रतिवादी असल के कोई पुत्र नही है। केवल मात्र 2 पुत्रियां है जिनमे से बडी पुत्री की मृत्यु बिना किसी औलाद पूर्व में ही हो चुकी है और वादिनी ही प्रतिवादी सेख्या 1 असल की जायज वारिस और उसके साथ अपने अधिकार की विधिनानुकूल घोषणा कराने की मुश्तहक है। अतः दावा वादीगण स्वीकार करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिवादी वकील के कथन रहे कि हाल आराजी खसरा नं0 3311 रकवा 0.30, 3312 रकवा 0.29 कुल किता 02 रकवा 0.59 हैक्टे. वाके ग्राम भदीरा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

नदबई प्रार्थिया वादिनी की पैत्रिक आराजी न होकर प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित आराजी है। जिसे मुझ प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 10.06.1985 को कीमतन विकेता बदले पुत्र सामलिया व बीरबल पुत्र सामलिया जाति जाट निवासी भदीरा से कय किया था। पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण वादिनी का मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। इस आधार पर दावा वादिनी चलने योग्य नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. आया आराजी मुतनाजा पैत्रिक है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वह निस्फ हिस्से की अपने आपको खातेदार घोषित कराने की अधिकारिणी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी संवंत 2028 वाके ग्राम भदीरा एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जो वादिनी व असल प्रतिवादी संख्या 01 एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की कोटीनेन्सी की आराजी है। जिस पर प्रतिवादनी का जन्मजात व विरासतन हक व हिस्सा निहित है। वादनी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं गवाहों के शपथ–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 के कोई पुत्र नहीं था केवल दो पुत्रियां थी। जिसमें से बडी पुत्री की बिना किसी औलाद के मृत्यु हो चुकी है। अतः तनकी संख्या 01 प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के हक में तय की जाती है।
2. आया वादिनी अपने हिस्से की आराजीयात प्रतिवादी असल संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने की मुश्तहक है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात वादिनी की पैतृक आराजी है और वादिनी, प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्री है। प्रतिवादी संख्या 01 की दूसरी बडी पुत्री की बिना किसी औलाद फौत हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 01 के कोई पुत्र नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पुत्री का पैतृक आराजी में विरासतन हक होता है। इस प्रकार वादिनी अपने हिस्से की आराजीयात में असल प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की मुश्तहक है। अतः इस प्रकार तनकी संख्या 02 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी संख्या 01 के हक में तय की जाती है।
3. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित है। जिसमें वादिनी का हक निहित नहीं है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा वयनामा का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 ग्यासी ने खसरा नम्बर 2846 रकवा 0.27, 2847 रकवा 0.29, वाके ग्राम भदीरा विकेता लीले पुत्र चन्दन जाति जाट निवासी भदीरा से जरिये वयनामा कय किया किया है एवं खसरा नम्बर 3311 रकवा 0.30, 3312 रकवा 0.29 वाके ग्राम भदीरा कीमतन

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

विकता बदले पुत्र सामलिया व बीरवल पुत्र सामलिया जाति जाट निवासी भदीरा सेजरिये वयनामा क्रय किया था। जिसका वयनामा प्रतिवादी संख्या 01 ग्यासी पुत्र चुन्नी उर्फ चरनी जाति जाट निवासी भदीरा ने केता वनय सिंह पुत्र सुगड सिंह के हक में दिनांक 25.10.2018 को करवा दिया है। विवादित आराजी में पैतृक आराजी का कोई हस्तान्तरण नहीं हुआ है। विवादित आराजीयात पैतृक आराजी है। अतः उक्त तनकी संख्या 03 प्रतिवादी द्वारा सिद्ध करने में असफल रहा है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजी है । वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नं0 2046 रकवा 0.27, 2047 रकवा 0.29, 3311 रकवा 0.30, 3312 रकवा 0.29, 2331 रकवा 0.34, 2333 रकवा 0.33, 2462 रकवा 0.29, 3148 रकवा 0.22, 3261 रकवा 0.57, 3262 रकवा 0.44, 3263 रकवा 0.29, 3264 रकवा 0.46 किता 12 कुल रकवा 4.09 हैक्टे. स्थित ग्राम भदीरा तहसील नदबई वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सेनुसार कोटीनेन्सी की आराजी है, पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादिनी को निस्फ हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18|12|25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

([illegible] यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी नदबई